न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :— साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 43 / 2022

मघाराम पुत्र खेताराम जाति दर्जी निवासी बज्जू तेजपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
-----वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत
----- प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. श्री हरिकिशन उपाध्याय वकील वादी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

— : निर्णय :—

दिनांक :— 19 सितंबर 2024

1. वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी बज्जू तेजपुरा जिला बीकानेर का रहने वाला है एवं वादी का पैतृक गांव बज्जू तेजपुरा तहसील बज्जू व जिला बीकानेर है व वादी उक्त भूमि का पुश्तैनी खातेदार काश्तकार है। वादी को जरिये विरासतन ग्राम बीठनोक के खसरा नंबर 616 में 45 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है उस वक्त वादी का घर पर बोलचाल का नाम नख्ताराम था इसलिए जरिये विरासतन दर्ज होते समय उक्त नख्ताराम नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम मघाराम है। वादी की उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ग्राम बीठनोक के खसरा नंबर 616 में नख्ताराम के नाम से सहखाते में दर्ज है जबकि नख्ताराम एवं मघाराम दोनों एक ही व्यक्ति है एवं वादी का वास्तविक नाम मघाराम है व वादी के पहचान के समस्त कागजात भी मघाराम नाम के बने हुए हैं।
2. सर्वप्रथम वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।
3. वादी के वकील ने वाद पत्र के सलंग्न वादी का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, ग्राम पंचायत बज्जू तेजपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उ0मा0विद्यालय बज्जू व्याख्याता द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक डायरी की प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।
4. प्रतिवादी राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत के जवाब के अनुसार ग्राम बीठनोक के खसरा नंबर 616 में 45 बीघा 6 बिस्वा भूमि मु0 तुलछी बेवा खेताराम,

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

कॉडेट कार्ड अथवा सोसाइटी लोन व कृषि भूमि का बंटवारा करवाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी अपने नाम व वर्तमान पते की ही घोषणा करवाने का अधिकारी है।

किलाणाराम, बाबूलाल, नखताराम पि0 खेताराम कौम दर्जी साकिन बज्जू तेजपुरा के गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जवाब राजपैरोकार शामिल पत्रावली है।

5. वादी के विद्वान वकील की तरफ से प्रथम गवाह श्री किलाणाराम पुत्र खेताराम जाति दर्जी साकिन बज्जू तेजपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर जो कि मघाराम उर्फ नखताराम का सगा भाई एवं सहखातेदार है। इनके अनुसार इनके भाई मघाराम का बोलचाल का नाम नख्ताराम है एवं कागजातों में नाम मघाराम है तथा नख्ताराम एवं मघाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। बयान गवाह शामिल पत्रावली है।

6. वादी के विद्वान वकील की तरफ से द्वितीय ग्वाह स्वयं विद्वान वकील श्री बुधराम पुत्र पतराम विश्नोई निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर के अनुसार मघाराम उर्फ नख्ताराम दर्जी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। ग्राम बीठनोक के संयुक्त खाता नंबर 616 में नख्ताराम के स्थान पर मघाराम नाम करने पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज होने पर स्वयं जिम्मेदार होंगे। बयान ग्वाह शामिल पत्रावली है।

7. वाद पत्र, वाद पत्र के सलंग्न दस्तावेज, विद्वान वकील की तरफ से पेश गवाहों व पैरोकार राज के इकबालिया जवाब का अवलोकन किया गया। मुताबिक वाद पत्र व पेरोकाराज के जवाब वाद पत्र अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादी का नाम मघाराम ही है जो प्रस्तुत सबूतों से सिद्ध होता है। अतः वाद पत्र में निर्णय किया जाता है कि वादी मघाराम का सही नाम नख्ताराम न होकर मघाराम ही है। अतः नख्ताराम वल्द मघाराम कौम दर्जी साकिन बज्जू तेजपुरा के स्थान पर मघाराम पुत्र खेताराम जाति दर्जी साकिन बज्जू तेजपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर का संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

8. पत्रावली तद्नुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 19.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत

काडट काड अथवा सासाइटा लान व कृाष भूाम का बटवारा करवान म कइ
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी अपने नाम व वर्तमान
पते की की घोषणा करवाने का अधिकारी है।